संख्या-09/2019/445/77-6-19-4(बजट)/16टीसी

प्रेषक,

बाबू राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2019

विषयः औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु पात्र 09 इकाईयों को धनराशि रू.34,23,32,270.00 की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 04/2019/357/77-6-19-4(बजट)16 टीसी दिनांक 12 जून, 2019 द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1,80,00,00,,000.00 (रू0 एक अरब अस्सी करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 34,23,32,270.00 (रू0 चौंतिस करोड़ तेईस लाख बतीस हजार दो सौ सत्तर मात्र) कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की गयी थी। उक्त शर्तों में प्रथम शर्त यह थी कि उक्त धनराशि सीधे जिस संस्था को भुगतान किया जाना है, उसके खाते में आहरित कर जमा की जायेगी। आहरित धनराशि पिकप के बैंक खाते में जमा नहीं की जायेगी। इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबंध निदेशक, पिकप द्वारा हस्तांतरित कर अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

2. प्रबन्ध निदेशक के पत्र दिनांक 12 जून, 2019 में यह अवगत कराया गया है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2012 के प्रस्तर-5(5) में यह प्राविधान है कि "योजना अन्तर्गत ऋण हेतु धनराशि औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार पिकप/यूपीएफसी को उपलब्ध करायेंगे। उक्त स्वीकृत धनराशि पिकप के खाते में हस्तान्तरित न होने की दशा में योजना अन्तर्गत पात्र इकाईयों को स्वीकृत किये गये ऋण का वितरण किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। पिकप द्वारा उक्त शर्त को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 12 जून, 2019 में अंकित प्रथम शर्त को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

क्र0 सं0	शासनादेश दिनांक 12 जून, 2019 की प्रथम शर्त	संशोधित शर्त
1.	उक्त धनराशि सीधे जिस संस्था को भुगतान किया जाना है, उसके खाते में आहरित कर जमा की जायेगी। आहरित धनराशि पिकप के बैंक खाते में जमा नहीं की जायेगी। इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबंध निदेशक, पिकप द्वारा हस्तांतरित कर अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया	उक्त धनराशि को आहरित करके पिकप को उपलब्ध कराया जायेगा जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप द्वारा हस्तांतरित कर अपर आयुक्त उद्योग लखनऊ मण्डल लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	जाएगा।	

4. उक्त शासनादेश में पात्र इकाईयों का विवरण निम्नवत् पढा जाय-

क्रमांक	इकाई का नाम	धनराशि
1	मे0 डायमण्ड वैली गार्डन्स प्रा0लि0 ग्रेटर नोयडा	97,14,596.00
2	मे0 मदरसन सूमी सिस्टम्स लि0 नोएडा	11,11,15,473.00
3	मे0 अमृत बॉटलर्स प्रा0लि0,मिनरल वॉटर यूनिट,फैजाबाद	1,77,62,193.00
4	मे0 सी0पी0मिल्क एण्ड फूड प्रोक्टस प्रा0लि0बाराबंकी	1,09,13,444.00
5	मे0 मंगलम सीमेण्ट लि0, अलीगढ़	5,33,84,106.00
6	मे0 बी0एल0एग्रो आयल्स प्रा0लि0(विस्तारीकरण परियोजना) बरेली	5,52,33,117.00
7	मे0 इकोप्लस स्टील्स प्रा0लि0 चुनार, मिर्जापुर	7,65,35,213.00
8	मे0 ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि0, अमेठी, जगदीशपुर	69,80,062.00
9	मे0 कजारिया सिरामिक्स लि0 सिकन्दराबाद	6,94,066.00
	योग-	34,23,32,270.00

5. शासनादेश संख्या-04/2019/357/77-6-19-4(बजट)16टीसी दिनांक 12 जून, 2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-694/दस-19 दिनांक- 15 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(बाबू राम)
उप सचिव।

संख्याः09/2019/445 (1)/77-6-19-4(बजट)/16टीसी तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -6
8- नियोजन अनुभाग-1/4
9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in